(GI-2, GI-6, GI-7, VI-1, VDI-1, DRIVE & FMT)

DATE: 21.09.2023 **MAXIMUM MARKS: 100** **TIMING: 3¼ Hours**

PAPER : LAW

Answer to questions are to be given only in English except in the case of candidates who have opted for Hindi Medium. If a candidate who has not opted for Hindi Medium. His/her answer in Hindi will not be valued.
Question No. 1 & 2 is compulsory.
Candidates are also required to answer any three questions from the remaining Four Questions.

Answer 1:

1. Ans. b
2. Ans. c
3. Ans. a
4. Ans. c
5. Ans. c
6. Ans. c
7. Ans. c
8. Ans. b

{2 M Each}

9. Ans. a
10. Ans. D
11. Ans. b
12. Ans. c
13. Ans. b
14. Ans. a
15. Ans. b
16. Ans. a
17. Ans. d
18. Ans. c
19. Ans. b
20. Ans. c
21. Ans. a
22. Ans. b

{1 M Each}

Answer 2:

(a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार, जब तक कि कंपनी के लेख एक बड़ी संख्या के लिए प्रदान नहीं करते हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बैठक के लिए कोरम 5 सदस्य व्यक्तिगत रूप से मौजूद होंगे, यदि सदस्यों की संख्या 1000 से अधिक नहीं है।

(i) (1) P1, P2 और P3 को तीन सदस्यों के रूप में गिना जाएगा।

(2) यदि कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की सदस्य है, तो वह किसी व्यक्ति को बाद की कंपनी की बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए संकल्प द्वारा अधिकृत कर सकती है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यक्ति में मौजूद सदस्य माना जाएगा और उसकी गणना की जाएगी। कोरम का उद्देश्य। इसलिए, क्रमशः एबीसी लिमिटेड और डीईएफ लिमिटेड का प्रतिनिधित्व करने वाले P4 और P5 को दो सदस्यों के रूप में गिना जाएगा।

{2 M}

(3) केवल व्यक्तिगत रूप से उपस्थित व्यक्ति और प्रॉक्सी द्वारा नहीं गिना जाना चाहिए। इसलिए, इस बात पर विचार करना कि वे सदस्य हैं या नहीं, कोरम के उद्देश्यों के लिए उन्हें बाहर करना होगा। इस प्रकार, P6 और P7 कोरम में नहीं गिना जाएगा।

अधिनियम के प्रावधान और प्रश्न के तथ्यों के प्रकाश में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि केएमएन लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक के लिए कोरम व्यक्तिगत रूप से मौजूद 5 सदस्य हैं। कुल 5 सदस्य (P1, P2, P3, P4 और P5) उपस्थित थे। इसलिए, कोरम की आवश्यकता पूरी हो जाती है।

{$1^{1/2}$ M}

(ii) अनुभाग में कहा गया है कि, यदि आवश्यक कोरम आधे घंटे के भीतर मौजूद नहीं है, तो बैठक अगले सप्ताह के लिए स्थगित की जाएगी और निदेशक मंडल द्वारा तय किए गए समय या स्थान या अन्य समय और स्थान पर स्थगित की जाएगी।
चूंकि, P4 कोरम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक आवश्यक हिस्सा है, और वह 11:30 पूर्वाह्न (यानी बैठक की शुरुआत के आधे घंटे बाद) तक पहुंचता है, बैठक को ऊपर दिए गए अनुसार स्थगित किया जाएगा। **{1/2 M}**

(iii) कोरम की कमी के मामले में, बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा जैसा कि धारा 103 में प्रदान किया गया है।
स्थगित बैठक या दिन, समय या बैठक के स्थान के परिवर्तन के मामले में, कंपनी सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से या अखबार में एक विज्ञापन प्रकाशित करके 3 दिन से कम का नोटिस नहीं देगी। **{1/2 M}**

(iv) जहाँ कोरम स्थगित बैठक में भी आधे घंटे के भीतर उपस्थित नहीं होता है, तो उपस्थित सदस्य कोरम का गठन करेंगे। **{1/2 M}**

Answer:

(b) Contract Act, 1872 की धारा 195 के अनुसार, अपने प्रिंसिपल के लिए एक एजेंट (प्रतिस्थापित) का चयन करते हुए, एक एजेंट विवेक की उतनी ही मात्रा में व्यायाम करने के लिए बाध्य होता है जितना कि सामान्य विवेक का आदमी अपने मामले में व्यायाम करेगा, और, यदि वह ऐसा करता है, तो वह चुने गए एजेंट के कृत्यों या लापरवाही के लिए प्रिंसिपल के लिए जिम्मेदार नहीं है। **{2 M}**

इस प्रकार, ''प्रतिस्थापन एजेंट'' का चयन करते समय एजेंट साधारण विवेक के व्यक्ति के रूप में परिश्रम की एक ही राशि का उपयोग करने के लिए बाध्य होता है और यदि वह ऐसा करता है तो वह प्रतिस्थापित एजेंट के कृत्यों या लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **{2 M}**

इसलिए, अगर Aziz ने सामान्य विवेक के व्यक्ति के रूप में परिश्रम की एक ही राशि का उपयोग किया है, तो वह नीलामी की आय के लिए Azar के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। **{1 M}**

Answer:

(c) एजुसेम जेनिसिस का नियमः एजुडेम जेनेमिक शब्द एक ही तरह या प्रजातियों का है। सीधे तौर पर कहा गया है कि नियम का मतलब है, जहां कोई भी अधिनियम विभिन्न विषयों की गणना करता है, विशिष्ट शब्दों का पालन करने वाले सामान्य शब्दों को उन शब्दों के संदर्भ में माना जाता है, जो उन्हें पहले कहते हैं। सामान्य शब्दों को उसी तरह की चीजों पर लागू करने के रूप में लिया जाना चाहिए जैसे कि पहले उल्लेखित विशिष्ट शब्द जब तक कि कुछ दिखाने के लिए नहीं है कि एक व्यापक अर्थ का इरादा था। इस प्रकार 'एजुसेडम जेनिसिस' के नियम का अर्थ है कि जहां विशिष्ट शब्दों का उपयोग किया जाता है और इन विशिष्ट शब्दों के बाद, कुछ सामान्य शब्दों का उपयोग किया जाता है, सामान्य शब्द पहले इस्तेमाल किए गए विशिष्ट शब्दों से अपना रंग ले लेंगे (जैसे) जहां एक अधिनियम में कुत्तों को रखने की अनुमति है, बिल्लियों, गायों, भैंसों और अन्य जानवरों, अभिव्यक्ति 'अन्य जानवरों' में शेर और बाघ जैसे व्यापक जानवर शामिल नहीं होंगे, लेकिन केवल पालतू जानवरों जैसे घोड़े, आदि का मतलब होगा। **{2 M}**

हालाँकि, कुछ नियम / परिस्थितियाँ हैं, जिन पर यह नियम कानूनों की व्याख्या में लागू नहीं किया जा सकता है। 'एजुडेम जेनिसिस' का सामान्य सिद्धांत केवल वही लागू होता है जहां विशिष्ट शब्द समान प्रकृति के होते हैं। जब वे विभिन्न श्रेणियों के होते हैं, तो इन विशिष्ट शब्दों का अनुसरण करने वाले सामान्य शब्दों का अर्थ अप्रभावित रहता है। ये सामान्य शब्द पहले के विशिष्ट शब्दों से रंग नहीं लेंगे।
फिर से यदि विशेष शब्द पूरे जीनस (श्रेणी) का उपयोग करते हैं, तो सामान्य शब्दों को बड़े जीन को कवर करने के रूप में माना जाता है।
इसके अलावा, न्यायालयों के पास यह विवेक है कि किसी विशेष मामले में क एजुडेम जेनेरिज के सिद्धांत को लागू किया जाए या नहीं। उदाहरण के लिए, न्यायालय में ंदक न्यायसंगत और न्यायसंगत 'खंड को, न्यायालय की शक्तियों को पहले पांच स्थितियों में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, जिसमें न्यायालय किसी कंपनी को बंद कर सकता है। **{2 M}**

Answer:

(d) कम्पनियों की धारा 62(1)(सी) के अंतर्गत, 2013 में जहाँ किसी भी समय, अंश पूंजी रखने वाली कम्पनी आगे अशों के जारी पर अपनी अभिदत्त पूंजी बढ़ाने का प्रस्ताव रखती है, या तो नकदी के लिए या नकदी के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के लिए, इस तरह के अशों को किसी भी व्यक्ति को पेश किया जा सकता है, यदि यह एक विशेष प्रस्ताव द्वारा अधिकृत है और यदि ऐसे अशों की कीमत एक पंजीकृत मूल्य के मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा निर्धारित की जाती है, अध्याय III के लागू प्रावधान और किसी भी अन्य शर्तो के अनुपालन के अधीन के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। **{3 M}**

वर्तमान मामले में, मार्स इंडिया लिमिटेड को अपने ऋण के निपटान में सुनील को अंश आवंटित करने का अधिकार है। इस जारी को एक विशेष प्रस्ताव द्वारा सदस्यों द्वारा अनुमोदित नकदी के अलावा अन्य जारी पर प्रतिफल करने के लिए वर्गीकृत किया जाएगा। **{1 M}**

इसके अलावा, अशों का मूल्यांकन एक पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाना चाहिए, अध्याय III के लागू प्रावधान के अनुपालन और निर्धारित की जा सकने वाली अन्य शर्तो की अधीन होना चाहिए। **{1 M}**

Answer 3:

(a) (i) राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण (एन.एफ.आर.ए.)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 132 के अनुसार केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण को अधिसूचना के द्वारा गठित किया जो लेखा प्रणाली एवं अंकेक्षण मानदण्ड़ पर इस अधिनियम के तहत मामले प्रदान करता है।

किसी भी समय किसी भी कानून में कुछ भी हो परन्तु एन.एफ.आर.ए. –

(ए) केन्द्र सरकार को लेखा व अंकेक्षण प्रणाली और मानदण्ड निरूपित एवं बनाने की सिफारिश करेगी जिनको कम्पनी और अन्य वर्ग की कम्पनी एवं अंकेक्षक द्वारा इस तरह के मामले में अंगीकृत करते है। **{3 M}**

(बी) लेखा मानक व अंकेक्षण मानदण्ड की किसी भी तरह निर्धारित पालना की देखरेख व लागु करना।

(सी) पेशेवर सहयोगी की सेवाओं की गुणता का निरीक्षण और मानदण्डों की अनुपालना को सुनिश्चित करना और सेवाओं की गुणवत्ता और अन्य सम्बन्धित मामलों में सुधार के लिये मापक की सलाह देना।

(डी) खण्ड (ए) (बी) और (सी) निर्धारित अन्य सम्बन्धित कार्य क्रियान्वित करना।

(ii) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) समिति

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 (1) के अनुसार सभी कम्पनियां जिनके तुरंत पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान –

(1) 500 करोड या उससे ज्यादा नेटवथ्र और

(2) 1000 करोड़ या उससे ज्यादा टर्नओवर और

(3) 5 करोड या उससे ज्यादा शुद्ध लाभ

था तो उनको निगमित सामाजिक उतरदायित्व समिति गठित होगी जिसमें तीन या उससे ज्यादा निदेशक जिनमें से कम से कम एक स्वतन्त्र निदेशक होंगे।

प्रदान किया है कि अगर धारा 149 (4) में कम्पनी को स्वतन्त्र निदेशक नियुक्त करना आवश्यक नहीं हैं, तो दो या अधिक निदेशक से निगमित सामाजिक उतरदायित्व समिति में हो सकते है। **{3 M}**

सी.एस.आर. समिति के कर्तव्य (धारा 135(3) सी एस आर समिति को

(ए) बोर्ड को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति को बनाना तथा अनुसंशित करना जो अनुसूची VII में दिये गये विषय और क्षेत्र में कंपनी द्वारा दी जाने वाली गतिविधियों का संकेत देगा।

(बी) खण्ड (ए) में बतायी गयी गतिविधियों में किये जाने वाले खर्च का अनुरोध करना और

(सी) समय–समय पर कम्पनी की सी.एस.आर. नीति का निरीक्षण करना।

Answer:

(b) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 133 के प्रावधानों के अनुसार, यदि लेनदार बिना किसी जमानत के सहमति के बिना किसी भी प्रकार का बदलाव करता है (यानी शब्दों में परिवर्तन करता है), तो परिवर्तन के बाद लेनदेन के रूप में जमानत का निर्वहन किया जाता है। **{3 M}**

श्री चेतन द्वारा पहले छह महीनों के दौरान नकदी की हेराफेरी के कारण एबीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को हुए नुकसान के लिए श्री पवन तत्काल मामले में उत्तरदायी हैं, लेकिन वेतन में कमी के बाद किए गए दुरुपयोग के लिए नहीं।

इसलिए, श्री पवन, अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन से पहले श्री चेतन के कार्य के लिए एक निश्चितता के रूप में उत्तरदायी होंगे, अर्थात् पहले छह महीनों के दौरान। श्री पवन की सहमति के बिना अनुबंध की शर्तों में भिन्नता (वेतन में कमी के रूप में), श्री चेतन को इस तरह के बदलाव के बाद श्री चेतन के कृत्य के लिए सभी देनदारियों से मुक्त कर देगा। **{3 M}**

Answer:

(c) **{**एम को नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि वह निर्धारित समय के भीतर छाता वापस करने में विफल रहा है**}** **{2 M}** **{**और धारा 161 स्पष्ट रूप से कहती है कि जहां एक सहमत समय के भीतर माल वापस करने में विफल रहता है, वह किसी भी नुकसान के लिए जमानत के लिए जिम्मेदार होगा उस समय से माल को नष्ट या खराब करना, उसकी ओर से उचित देखभाल के अभ्यास के बावजूद।**} {3 M}**

Answer 4:

(a) अपनी प्रतिभूतियों की खरीद के लिए उपयोग किया गया फंड – कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 68 में यह बताया गया है कि एक कम्पनी अपनी स्वंय की प्रतिभूतियों को निम्न में से खरीद सकती है :–

(i) इसके मुक्त संचय या
(ii) प्रतिभूतियों के प्रीमियम खाते या **{2 M}**
(iii) किसी भी अन्य या निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के निर्गमन की राशि।

यद्यपि किसी भी प्रकार के अंशों या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की पुनः खरीद उसी तरह के अंशों या उसी प्रकार की अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के पिछले अंक की आय से बाहर नहीं किया जा सकता है।

कुछ निश्चित परिस्थितियों में पुनः खरीद के लिए निषेध : (धारा 70)

(1) प्रावधान के अनुसार कोई भी कम्पनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्वयं के अंश या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की खरीद नहीं करेगी–

(a) अपनी सहायक कम्पनियों सहित किसी भी सहायक कम्पनी के माध्यम से या
(b) किसी भी निवेश कम्पनी या निवेश कम्पनियों के समूह के माध्यम से या **{2 M}**
(c) यदि कम्पनी द्वारा जमा या ब्याज भुगतान के पुर्न भुगतान, ऋण पत्र या पूर्वाधिकार अंशों के शोधन या किसी अंशधारक को लाभांश का भुगतान या किसी भी ऋण या ब्याज देयता के भुगतान या किसी भी वित्तीय संस्थान या बैंकिंग कम्पनी के भुगतान में चूक की है।

लेकिन जहां चूक को हटा दिया जाता है और तीन साल की अवधि बीत जाने के बाद चूक हो जाती है, तो ऐसी पुनः खरीद पर रोक नहीं है।

(2) कोई भी कम्पनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने स्वंय के अंश या अन्य निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की खरीद नहीं करेगी यदि ऐसी कम्पनी ने धारा 92 (वार्षिक रिपोर्ट), 123 (लाभांश की घोषणा), 127 के प्रावधानों (लाभांश की विफलता के लिए सजा और धारा 129) (वित्तीय विवरण) का अनुपालन नहीं किया है। **{1 M}**

Answer:

(b) परक्राम्य प्रलेख अधिनियमख 1981 की धारा 44 के अनुसार, जब किसी प्रतिफल के लिए किसी व्यक्ति ने एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर किए, विनिमय बिल या चेक में मुद्रा शामिल थी और मूल रूप से अनुपस्थित था या बाद में किसी भाग में विफल रहा, राशि जो ऐसे हस्ताक्षरकर्ता के साथ तत्काल संबंध में उपस्थित एक धारक से प्राप्त करने का हकदार है और आनुपातिक रूप से कम है। **{2 M}**

स्पष्टीकरण – विनिमय कर्ता विनिमय बिल के संबंध में स्वीकारकर्ता के संबंध में है। एक वचन पत्र के निर्माता, विनिमय बिल या चेक भुगतानकर्ता के तुरंत संबंध में है और इंडोरसर उसके इंडोरसी के साथ। अन्य हस्ताक्षरकर्ता एक धारक के साथ तत्काल संबंध में समझौता कर सकते हैं। **{1 M}**

दिए गए प्रश्न में सिंह चेक के आहरणकर्ता (राम) के साथ तत्काल संबंध में एक पक्ष है इसलिए वह राम से केवल स्वीकृत राशि वसूलने का हकदार है न कि चेक में दर्ज राशि। हालांकि चंद्रा का अधिकार, जो मूल्य का धारक है उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है और वह सिंह से चेक की पूरी राशि का दावा कर सकता है। **{2 M}**

Answer:

(c) नाबालिग को समझौता योग्य उपकरण के लिए एक पक्ष होने के नातेः अनुबंध करने के लिए सक्षम प्रत्येक व्यक्ति के पास एक वचन पत्र, विनिमय बिल या चेक (धारा 26, पैरा 1, परक्राम्य) बनाने, ड्राइंग, स्वीकार करने, समर्थन करने और बातचीत करने के द्वारा दायित्व उठाने की क्षमता है। साधन अधिनियम, 1881)। जैसा कि एक नाबालिग का समझौता शून्य है, वह एक समझौता उपकरण के लिए एक पार्टी बनकर खुद को बांध नहीं सकता है। लेकिन वह ऐसे उपकरणों को आकर्षित, समर्थन, वितरण और बातचीत कर सकता है ताकि खुद को छोड़कर सभी दलों को बाँध सके (धारा 26, पैरा 2)। **{2 M}**

[ऊपर बताई गई धारा 26 के प्रावधानों के मद्देनजर, एक्स और एम द्वारा निष्पादित वचन पत्र वैध है, जबकि एक नाबालिग इसके लिए एक पक्ष है।**][1 M] [**एम, नाबालिग होना उत्तरदायी नहीं है लेकिन दायित्व से एक्स को मुक्ति नहीं मिलेगी।**] [1 M]**

Answer:

(d) (i) **''शपथ पत्र''** [सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3(3)], :– "शपथ पत्र" कानून के द्वारा व्यक्ति के मामले में घोषणा और समर्थन को शामिल करेगा जो शपथ ग्रहण की जगह घोषित या समर्थन की अनुमति देगा।
उपरोक्त परिभाषा समावेशी प्रकृति में है। यह बताती है कि शपथ पत्र समर्थन और घोषणाएं शामिल करता है। यह परिभाषा शपथ पत्र को परिभाषित नहीं करती है। यद्यपि, हम यह शब्द सामान्य बोल– चाल में समझ सकते है। शपथ पत्र एक लिखित विवरण है जो शपथ या न्यायालय में सबूत के उपयोग के समर्थन में या किसी अधिकारी के समक्ष पुष्टि करता है। **{$1^{1/2}$ M}**

(ii) **''सद्भाव पूर्वक''** [सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3(22)] :– कोई वस्तु "सद्भाव" में की गई मानी जाएगी यदि वह ईमानदारी से की गई है, यद्यपि वह लापरवाही से की गई है या नहीं। स्थितियों के अनुसार इसका निर्धारण होता है कुछ भी जो परवाह के साथ और ध्यान रख के किया जो दुर्भावपूर्ण ना हो चाहे नगण्य रूप में किया हो पर उसे सद्भावपूर्ण नहीं कया ऐसा नहीं मानेंगे। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer 5:

(a) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 3 के अनुसार एकल व्यक्ति कम्पनी के सीमा नियम अन्य व्यक्ति (नामांकिती) के नाम दर्शायेगें, जो अभिदाता के मृत्यु या अनुबन्ध के अक्षमता के मामले में कम्पनी के 1 सदस्य बनेगा।
अन्य व्यक्ति (नामाकिंती) जिसका नाम सीमानियम में है, उसे सम्बन्धित फॉर्म में प्राथमिक रूप से सहमति दी जाएगी और समान रूप से कम्पनी के निगमन के समय सीमानियम और अन्तर्नियम के साथ कम्पनी रजिस्ट्रार को दिए जाऐंगें। **{2 M}**
ऐसे अन्य व्यक्ति (नांमाकिती) अपनी सहमति दिए गए तरीके से हटा सकते है।
इस प्रकार उपरोक्त कानून के संबंध में श्री किंग, नामांकिती, जिसका नाम सीमानियम में दिया हुआ है, ओ पी सी में नामांकिती के रूप में अपनी सहमति, लिखित नोटीस में एक मात्र सदस्य और एकल व्यक्ति कम्पनी को देकर हटा सकता है।

नामांकिती की रूप में नामांकित होने योग्यता के संबंध में प्रथम के द्वितीय भाग के निम्न उत्तर है :–

(i) कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, कोई भी नाबालिग ओ.पी.सी. का सदस्य या नामाकिंती नहीं बनेगा। इसलिए श्री श्याम नाबालिक होने से ओ.पी.सी. के नामांकिती के रूप में नामांकित होने के योग्य नहीं है। **{1 M}**

(ii) कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और भारत में रहता है, वही एकल व्यक्ति कम्पनी का नामांकिती या एक मात्र सदस्य होगा। शब्द "भारत में निवासी" से आशय एक व्यक्ति जो तुरन्त पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 120 दिनों के लिए भारत में रहा हो। यहां सुश्रश्री देव की एक भारतीय नागरिक हे तथा भारत में निवासी भी है इसलिये वो ओ पी सी में नामांकित होने के लिये योग्य है। **{1 M}**

(iii) कम्पनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 3 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी समय पर एक से ज्यादा ओ पी सी में सदस्य नहीं हो सकता है और वह एक से ज्यादा ओ पी सी में नामांकित भी नहीं हो सकता है श्री अशोक जो भारतीय निवासी नागरिक है और ओ पी सी में सदस्य है (ओ पी सी में नामांकित नही है) वो नामांकित मनोनीत कर सकते है। **{1 M}**

Answer:

(b) व्याकरणिक व्याख्या और इसक अपवाद : व्याकरणिक व्याख्या खुद को विशेष रूप से कानून की मौखिक अभिव्यक्ति से चिंतित करती है, यह कानून के पत्र से परे नहीं जाती है। सभी सामान्य मामलों में, व्याकरणिक व्याख्या एकमात्र रूप स्वीकार्य है। अदालत कानून के पत्र को संशोधित करने से जोड़ या नहीं ले सकती है। **{1 M}**

यह नियम हालाकि, कुछ अपवादों के अधीन है :

(1) जहां कानून का पत्र अस्पष्टता, असंगति या अपूर्णता के कारण तार्किक रूप से दोषपूर्ण है। अस्पष्टता के दोष के संबंध में, अदालत कानून के पत्र से परे यात्रा करने के लिए एक कर्तव्य के तहत् है ताकि अन्य स्त्रोतों से विधायिका के सच्चे इरादे का निर्धारण किया जा सके। असंगत के कारण वैधानिक अभिव्यक्ति के दोषपूर्ण होने के मामले में, अदालत को कानून की भावना का पता लगाना चाहिए। **{2 M}**

(2) यदि पाठ एक परिणाम की ओर जाता है जो इतना अनुचित है कि यह स्व–स्पष्ट है कि विधायिका का मतलब यह नहीं हो सकता कि वह क्या कहता है, तो अदालत विधिपूर्वक विधायिका के इरादे का हवाला देकर इस तरह के गतिरोध को हल कर सकती है। **{1 M}**

Answer:

(c) अवधि प्रभार को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(16) में परिभाषित किया गया है, क्योंकि अधिकार किसी कंपनी या उसके उपक्रमों को सम्पत्ति या परिसम्पत्तियों या एक सुरक्षा के रूप में या एक सुरक्षा और गिरवी के रूप में बताया गया एक ब्याज या ग्रहणाधिकार है। **{1 M}**

उल्लंघन के लिए सजा– कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 86 के अनुसार, यदि कोई कंपनी अध्याय VI के तहत् कवर किए गए आरोपों के पंजीकरण के संबंध में कोई चूक करती है, तो 1 लाख से 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। **{1 M}**

हर चूक करने वाले अधिकारी को अधिकतम छह महीने की कैद या न्यूनतम पच्चीस हजार और अधिकतम एक लाख, या दोनों के साथ दण्डनीय है। **{1 M}**

इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी गलत या गलत जानकारी को प्रस्तुत करता है या जानबूझकर किसी भी भौतिक जानकारी को दबाता है, जिसे धारा 77 के तहत् पंजीकृत होना आवश्यक है, तो वह धारा 477 (धोखाधड़ी की सजा) के तहत् कारवाई के लिए उत्तरदायी होगी। **{1 M}**

Answer:

(d) कंपनियों (निगमन) नियम, 2014 के नियम 3 के अनुसार, एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) स्वैच्छिक रूप से किसी भी प्रकार की कंपनी में तब तक परिवर्तित नहीं हो सकती जब तक कि दो साल निगमन की तारीख से समाप्त न हो जाए, सिवाय इसके कि भुगतान की गई शेयर पूंजी कहां है पचास लाख रुपये से अधिक या संबंधित अवधि के दौरान इसका औसत वार्षिक कारोबार दो करोड़ रुपये से अधिक है। **{2 M}**

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 18 में यह प्रावधान है कि इस अधिनियम के तहत पंजीकृत किसी भी वर्ग की कंपनी अध्याय के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के ज्ञापन और लेखों में परिवर्तन करके इस अधिनियम के तहत अन्य वर्ग की कंपनी के रूप में खुद को परिवर्तित कर सकती है। अधिनियम का II.

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, निम्नलिखित दिए गए परिस्थितियों के उत्तर हैं:

(i) यदि प्रवर्तक कंपनी की भुगतान की गई पूंजी को रुपये से बढ़ाते हैं। 2017–2018 के दौरान 10.00 लाख यानी, रुपये 55 लाख (45 + 10 = 55), 'न्यू'(ओपीसी) 50 लाख रुपये से अधिक की भुगतान शेयर पूंजी में वृद्धि के कारण स्वेच्छा से किसी अन्य प्रकार की कंपनी में बदल सकती है। यह अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी के ज्ञापन और लेखों के परिवर्तन द्वारा 'न्यू' द्वारा किया जा सकता है। **{1 M}**

(ii) यदि 2017–18 के दौरान) 'नई' का टर्नओवर रुपये 3.00 करोड़, उत्तर में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि यह न्यूनतम टर्नओवर की आवश्यकता को पूरा करता है, अर्थात, रुपये किसी अन्य प्रकार की कंपनी में दल 'न्यू' (OPC) के स्वैच्छिक रूप से रूपांतरण के लिए 2 करोड़। **{1 M}**

Answer 6:

(a) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार कोई भी कंपनी अपने वकील के रूप में किसी भी व्यक्ति को भारत में या उसके बाहर किसी भी स्थान पर काम करने के लिए अधिकृत कर सकती है। लेकिन सामान्य मुहर को उसके अधिकार पत्र पर चिपका दिया जाना चाहिए या प्राधिकरण पत्र पर कंपनी के दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए या इसे एक निदेशक और सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। यह अधिकार किसी भी कार्य के लिए सामान्य हो सकता है या यह किसी विशिष्ट कार्य के लिए हो सकता है। **{3 M}**

कंपनी के ओर से और उसकी मुहर के तहत् इस तरह के एक वकील द्वारा हस्ताक्षरित एक विलेख कंपनी को बाध्य करेगा जैसे कि यह उसके सामान्य मुहर के तहत् बनाया गया था। **{1 M}**

वर्तमान मामले में कंपनी में न तो कोई लिखित अधिकार दिया है और न ही प्राधिकरण पत्र पर सामान्य मुहर चिपकाई है। इसका मतलब है कि श्री पराग कंपनी की ओर से कानूनी तौर पर काम करने के हकदार नहीं है। इसलिए, उसके द्वारा निष्पादित कार्य कंपनी पर बाध्यकारी नहीं है। इसलिए, कंपनी एक भागीदार के रूप में अपनी देयता से इनकार कर सकती है। **{2 M}**

Answer:

(b) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 96 के अनुसार एक कम्पनी को प्रथम वार्षिक साधारण सभा अपना प्रथम वित्त वर्ष समाप्ति के 9 माह के भीतर आयोजित करनी पड़ेगी। पहले केस में इन्फोटेक लिमिटेड का वित्त वर्ष 31 मार्च 2017 को समाप्त हो रहा है इसलिये उसको अपनी प्रथम वार्षिक साधारण सभा का आयोजन 31 दिसम्बर 2017 को या उससे पहले कर लेना चाहिये था। **{$1^{1/2}$ M}**

कम्पनी का रजिस्ट्रार विशेष कारणों से वार्षिक साधारण सभा के आयोजन के समय सीमा को बढ़ा सकता है, परन्तु वह प्रथम वार्षिक साधारण सभा के आयोजन की समय सीमा को नहीं बढ़ा सकता है। अन्य वार्षिक साधारण सभा की समय सीमा को वो तीन महीने से बढ़ा सकता है। अतः हम कह सकते है इन्फोटेक लिमिटेड को अपनी वार्षिक साधारण सभा को 31 दिसम्बर 2017 को इससे पहले कर लेना चाहिये था तथा कम्पनी के रजिस्ट्रार के पास समय सीमा को बढ़ाने का इस संबंध में कोई अधिकार नहीं होगा। **{$1^{1/2}$ M}**

Answer:

(c) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, राजस्थान सरकार द्वारा AMC Ltd. के 25% अंशों की होल्डिंग इसे सराकारी कंपनी नहीं बनाती है। इसलिए, इसे एक गैर–सरकारी कंपनी के रूप में माना जाएगा। **{1 M}**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत्, कंपनी के सदस्यों द्वारा एक लेखापरीक्षक की नियुक्ति आमतौर पर कंपनी के सदस्यों के साथ होती है, जिसमें पहले लेखापरीक्षकों के मामले को छोड़कर और आमस्मिक रिक्ति को भरने के कारण नहीं होता है, लेखा परीक्षक जिस स्थिति में लेखापरीक्षक नियुक्त करने की शक्ति निदेशक मण्डल के साथ निहित है। सदस्यों द्वारा नियुक्ति केवल एक सामान्य प्रस्ताव के माध्यम से होती है और अधिनियम में कोई अपवाद नहीं किया गया है जिसके अंतर्गत लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। **{3 M}**

अतः श्री संजय का विवाद समर्थनीय नहीं है। नियुक्ति कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत वैध है। **{1 M}**

Answer:

(d) कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अनुसार एक कम्पनी जो धारा 8 में पंजीकृत है अर्थात् लाभार्थ कार्यो वाली कम्पनी नहीं अपितु धमार्थ कार्यो वाली कम्पनी वह कभी भी अपने सदस्यों को लाभांश नहीं बांट सकती। उसके लाभों का प्रयोग केवल उसके उद्देश्यों को बढ़ावे में ही प्रयोग हो सकता है। **{$1^{1/2}$ M}**

उपरोक्त दशा में अल्फा हर्बलस धारा 8 में पंजीकृत कम्पनी है और वह कभी भी कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार लाभांश की घोषणा नहीं कर सकती है। **{$1^{1/2}$ M}**

—**—